

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 61 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांतरा

रेस्पोंडेंटगण


1. दुर्गाराम कपुराराम का.मु. 1/1रणछोड़राम पुत्र दुर्गाराम 1/2सुरेश पुत्र दुर्गाराम	1. रामाराम पुत्र रताराम का.मु. 1/1शान्तिलाल पुत्र रामाराम 1/2राजु पुत्र रामाराम 1/3अशोक पुत्र रामाराम 1/4छगनी पत्नी रामाराम
2. जगदीश पुत्र कपुराराम का.मु. 2/1श्यामलाल पुत्र जगदीश 2/2डायाराम पुत्र जगदीश	2. उदाराम पुत्र रताराम
3. ओमाराम पुत्र रूपाराम	3. मिसरा पुत्र केहनाजी का.मु. 3/1सोनाराम पुत्र मिसराजी 3/2हुकमाराम पुत्र मिसराजी कायम मुकाम 3/2/1राणीदेवी पत्नी हुकमाराम 3/2/2उत्तमकुमार पुत्र हुकमाराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता राणीदेवी पत्नी हुकमाराम जाति माली निवासी कुसीप तहसील सिवाना
4. गोविन्दराम पुत्र रूपाराम	4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना जिला बाड़मेर
5. लिकमाराम पुत्र रूपाराम	
6. जितेन्द्र पुत्र रूपाराम	
7. पानीदेवी पत्नी रूपाराम	
8. घेवरीया उर्फ घेवरराम	
9. जीवाराम पुत्र दलाराम	
10. सोनाराम पुत्र गुणेशाराम	
11. बाबुराम पुत्र गणेशाराम	
12. मीठाराम पुत्र गणेशाराम जातियान माली निवासीयान कुसीप तहसील सिवाना जिला बाड़मेर	

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 39/2009 बउनवान रामाराम बनाम दुर्गाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.03.2022 के विरुद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री भूपेन्द्र गहलोत अपीलान्त की ओर से।
2. रेस्पोंडेंटस बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय


(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

दिनांक:-01.04.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/उत्तरदाता ने अंतर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विद्वान सहायक कलक्टर सिवाना के न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम पर संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि वक्त सेटलमेंट से राजस्व ग्राम कुसीप में स्थित है, खसरा संख्या 340 रकबा 22.10 बीघा, खसरा संख्या 322 रकबा 28.14 बीघा, खसरा संख्या 323 रकबा 01 बीघा, खसरा संख्या 324 रकबा 04.18 बीघा कुल रकबा 57.02 बीघा है। अपीलाधीन आराजी कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पूर्वज जोराजी की हिस्सेदारी वक्त सेटलमेंट से ग्राम कुसीप के खसरा संख्या 340 रकबा 22.10 बीघा में 1/2 होने से वादीगण के पूर्वज रमीया पुत्र केहनाजी के हिस्सा 1/8 व प्रतिवादी संख्या 10 मिसरा का हिस्सा 1/8 तथा वादीगण के द्वारा इसी खसरा में कुंपाराम के वारिसान रामाराम द्वारा वादीगण के पिता रताराम के पक्ष में हस्तांतरित कर दिये जाने से वादीगण की हिस्सेदारी $1/4+1/8=3/8$ की है, प्रतिवादी संख्या 07 ता 9 का 1 हिस्सा है। इसी कदर मौके पर काबिज है। गांव कुसीप के खसरा संख्या 322, 323, 324 के रकबा 34.12 बीघा में वादीगण के वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10 के संयुक्त खातेदारी की होने से वादीगण के पूर्वज जोराजी की हिस्सेदारी वक्त सेटलमेंट से 1/3 होने से वादीगण के पूर्वज रतीया पुत्र केहनाजी के हिस्सा 1/12 व प्रतिवादी संख्या 10 का हिस्सा 1/12 तथा वादीगण के द्वारा इसी खसरा में कुंपाराम के वारीसान रामाराम द्वारा वादीगण के पिता रताराम के पक्ष में हस्तान्तरित कर दिये जानें से वादी की हिस्सेदारी $1/6 +1/12=1/4$ की होती है, व प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा $1/27+3/27=4/27$ पुश्तैनी व खरीद का होता है, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/27, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/9, प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का हिस्सा 1/9 व प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 का हिस्सा 1/9 का है। इसी कदर मौके पर कब्जा हैं। राजस्व रेकॉर्ड में हिस्सा सही दर्ज नहीं होने से भूमि की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाने से प्रतिवादी संख्या 01 ता 10 वादीगण की भूमि में दखल अन्दाजी करते आ रहे हैं। इसलिए हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरुद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रैरपोर्डेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील नहीं करवाई गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मृत पक्षकारों के विरुद्ध पारित की गई। प्रतिवादी संख्या 01 रामाराम की मृत्यु दिनांक 25.07.2014 को हो जाने के उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा उनके विधिक प्रतिनिधि को रेकॉर्ड/अभिलेख पर लेने संबंधित कोई विधिक कार्यवाही नहीं की गई,। वादी का वाद अंतर्गत धारा 22 नियम 04 व 09 अबेट हो चुका था। किन्तु उसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार सिवाना को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार सिवाना द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। तहसीलदार सिवाना द्वारा कुरेजात रिपोर्ट तैयार करने से पहले तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इस कुरेजात रिपोर्ट के आधार पर सहायक कलक्टर द्वारा अंतिम डिक्री जारी कर दी। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार सिवाना द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाइनेर

वादीगण के वारिसान मौके पर आये और आते ही धमकियां देने लगे कि उक्त भूमि के कागजात हमने हमारे नाम से करवा लिये हैं, जिस पर हमने हल्का पटवारी से सम्पर्क किया, तो हल्का पटवारी ने सहायक कलक्टर कोर्ट से फैसला होने की बात कही, जिस पर अपीलांट द्वारा अधिवक्ता से सम्पर्क कर अधीनस्थ न्यायालय में जाकर पता किया और नकलें प्राप्त की तो विगत दिनांक 25.05.2022 को उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्रथम बार जानकारी हुई। अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सदभाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि हस्तगत प्रकरण में प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.2012 पारित करने के पश्चात पत्रावली को दाखिल दफ्तर किया गया। अपीलांट की जानकारी में लाये बिना ही दिनांक 28.03.2022 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय मृत पक्षकारों के विरुद्ध पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए पारित की उक्त विभाजन प्रस्ताव को तैयार करते वक्त अपीलांट को सूचना/नोटिस दिये बिना मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत तैयार किया गया। बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

(नवीन कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाइमेर

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 39/2009 बउनवान रामाराम बनाम दुर्गाराम वगेरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.03.2022 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई समुचित का मौका दिया जाकर तहरीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार बाई भीटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(नवनीत कुमार)

राजस्व अपील प्राधिकारी

बाइनेर अपील प्राधिकारी

बाइनेर

यह आदेश आज दिनांक 01.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

बाइनेर अपील प्राधिकारी

बाइनेर अपील प्राधिकारी

बाइनेर